

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक:- एफ. 7(01)परीक्षा क/प्राध्यापक/(स्कूल शिक्षा)/जीव विज्ञान/2010-19/513 दिनांक: 28.07.2021 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)-जीव विज्ञान के पद पर पे-गैटिटरा लेवल (L 12) पर चयनोपरांत संलग्न सूची में विवरणांकित अर्थव्ययों को नियुक्ति हेतु अनिवार्यतापूर्वक किये जाने के फलस्वरूप इन अर्थव्ययों का प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)-जीव विज्ञान के पद पर 02 वर्ष के लिए परिधीयतापूर्ण प्रशिक्षणार्थी (प्रोवेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर एनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)-जीव विज्ञान के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इनके परिधीयतापूर्ण प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की तिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ. 12(01) एफ.डी(नियम) /2005 दिनांक: 13.03.2008 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक: 30.10.2017 एवं दिनांक: 09.12.2017 (Schedule IV/Rule No. 16) के प्राधान्यानुसार राजकीय सेवा में पूर्व से कार्यरत व्यक्तित्व अर्थव्ययों को विकल्प के आधार पर विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक एवं नव नियुक्ति कार्यालय को निम्न पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ.13(1)एफ.डी/नियम/2003 जयपुर दिनांक: 28.01.2004, एफ.13(1)एफ.डी/नियम/2003 जयपुर दिनांक: 27.03.2004 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के प्राकल्पनागत इनकी नियुक्ति असादायी पेशग योजनागत होगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे -

1. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र रक्षण अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होगा यह एव नियमानुसार रक्षण अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुरूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त रक्षण अधिकारी द्वारा कटा नहीं गया चाहिए"। यदि कोई अर्थव्ययी क्रीमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनके कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को निजघार्त जावे।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होगा वांछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एव पति की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, संबंधित अर्थव्ययी अपनी माता-पिता की आय के आधार पर जारी पिता के नाम से रक्षण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा। यदि संबंधित अर्थव्ययी ऐसा नहीं करता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को निजघार्त जावे।
3. अर्थव्ययी को शैक्षिक/प्रशिक्षक अंकतालिकाओं/प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उक्त मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अर्थव्ययी से मूल निगरा प्रमाण पत्र विवाहित अर्थव्ययों से विना: पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाक/शुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र एवं अन्य नाम-उपनाम संबंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इनके कार्यग्रहण करवाया जावे। आवेदन करने के तत्पश्चात् तलाक/शुदा/विधवा महिलाओं द्वारा पुनर्विवाह वाले प्रमाणों में अर्थव्ययों से आवेदन करने से पूर्व पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी आशय का शपथ पत्र अवश्य लेवे।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक: एफ.7(1)डीओपी/ए-11/2019 जयपुर दिनांक: 20.10.2019, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक: एफ.11()/आ.क.व./डीडीवीसी/सन्धाअवि/19/14279-330 जयपुर, दिनांक: 12.03.2019 एवं क्रमांक: एफ.11()/आ.क.व./डीडीवीसी/सन्धाअवि/19/62866-63066 जयपुर, दिनांक: 22.10.2019 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के अनुसरण में निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए तथा उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त की आय के आधार पर जारी होना वांछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामलों में पति व पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र मान्य होगा, उपरोक्तानुसार स्थिति नहीं होने के परिशिष्ट में कार्यालय को कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा प्रकरण तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जावे।
5. उक्त नियुक्तियां राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अन्वयेन हैं।
6. रक्षण अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थ प्रमाण पत्र की मूल प्रती ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे तथा कार्यालय की व्यक्तिगत पंजीयन में भी संलग्न किया जावे। जो अर्थव्ययी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
7. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक :- पं.1(1)कार्य/क-2/2016 जयपुर, दिनांक 04.12.2019 के अनुसरण में कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-आधीनक द्वारा प्रदत्त धरित्र संबंधी सदाचरण जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत एव सदाचरण जांच प्रतिवेदन में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करवावे। अर्थव्ययी की सदाचरण जांच प्रतिवेदन में विपरीत टिप्पणी पायी जाती है या अर्थव्ययी द्वारा सदाचरण जांच प्रतिवेदन कार्यग्रहण करने से पूर्व प्रस्तुत नहीं किये जाने के उपरांत भी संस्था प्रधान द्वारा कार्यग्रहण करवाया जाता है तो संस्था प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अगल में लाई जावेगी। जो अर्थव्ययी पूर्व से ही राजकीय सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कर्मियों हेतु न्यायिक/अदालती/दस्तावेजों की प्रकार का मुकदमा/प्रकरण विचारधीन नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रु. का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
8. पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मियों से विनग्रीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे।
9. आवेदक द्वारा दहेज एवं पुत्रपान सम्बन्धी श्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
10. यदि राज्य सरकार की संघ में इनका कार्य या आचरण परिवेश की समयाधि में संतोषप्रद नहीं पाया जावे अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दल प्राध्यापक होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इनके सेवा से तुरंत विमुक्त कर सकेगी।
11. नियुक्त अर्थव्ययी जो विवाहित हैं, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जीवित रक्षण/संतानों का घोषणा पत्र (संलग्न प्रारूप में) उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावे। दिनांक 01.06.2002

को अथवा पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं है परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चात्तवर्ती प्रसव में एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा।

12. भूतपूर्व सैनिक वर्ग में व्यगित अभ्यर्थियों से अपेक्षित NOC FOR CIVIL JOB, NOC FOR HIGHER EDUCATION, RETIREMENT DIARY, MPO दोहरा लाम संबंधी दस्तावेज/शपथ पत्र एवं नियुक्ति पूर्व संबंधित प्राधिकारी को प्राध्यापक-स्कूल शिक्षा मंत्री परीक्षा 2018 के पद हेतु आवेदन करने की सूचना आदि दस्तावेज प्राप्त करते हुए शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक : प 5(18)कार्मिक/क-2/84 पार्ट जयपुर, दिनांक 21.05.2019 को दृष्टिगत रखते हुए कार्यग्रहण संबंधी कार्यवाही सम्पादित करावै।
13. माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा SBCWP No.2871/2020 आदित्य शर्मा बनाम राज्य व अन्य में पारित अंतरिम निर्णय की पालना में जीव विज्ञान की नियुक्ति प्रक्रिया उक्त याचिका में पारित अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
14. व्यगित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट <http://education.rajasthan.gov.in/> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिवृत्त होंगे। संलग्न सूची में अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापित स्थान पर दिनांक 23/09/2021 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएँ/लघ्य सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेंगी।

संलग्न: सूची (अभ्यर्थियों की संख्या-01)


(सौरभ स्वामी)


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक: 10-09-21

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीग/2018 RPSC पदस्था/जीव विज्ञान/2021/04

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय)।
6. समस्त संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त क्रम में कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना समेकित कर, संकलित सूचना-वेबसाईट इस कार्यालय में वाहक स्तर पर प्रेषित की जावे, साथ ही अपने अधीनस्थ संस्थाप्रधान से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर, इस कार्यालय में प्रेषित करें।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. अनुभाग अधिकारी, डीपीसी अनुभाग, कार्यालय हाजा।
9. सहायक निदेशक, संस्थापन (सी-1,2,3 व 4)/परिष्कृता अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि /संबंधित कार्मिक।
11. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिबिरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगु/2018 RPSC पदस्था/जीव विज्ञान/2021/04

दिनांक: 10-03-2021

क्र.सं.	रोल नं.	नाम	पिता का नाम	पता	जन्म तिथि	वर्ग	समय वर्ग	विलेप वर्ग	शैलिक क्रमांक	परीक्षण स्थान	विषय	छात्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	468714	RAJ KUMARI	JETA RAM	VPO-MALASAR, TEH- DOWANA, MALASAR, NAGAR, Rajasthan, 341506	23-10-1988	BC,WE	OBCM		73	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL RUDIYA (319057), BHOPLGARH (08150603501)BHOPLGARH (SC)	JODHPUR	



(सौरभ स्वामी)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर